"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 जनवरी 2011—माघ 1, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जनवरी 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/49/2010/वाक/पांच (2).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 में राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा,—

संशोधन

उक्त कथित नियमों में,—

(एक) नियम 20 के उप-नियम (2) के खण्ड (ख) के पश्चात् वाक्य "31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्रारूप-18 में विवरण तथा धारा 41 की उपधारा (2) के अधीन आडिट रिपोर्ट 31 मई, 2008 तक प्रस्तुत की जाएगी." का लोप किया जाए.

(दो) नियम 20 के उप-नियम (2) के खण्ड (ख) के पश्चात् निम्न परन्तुक जोड़ा जाए,—
"परन्तु, 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्रारूप 18 में विवरण तथा धारा 41 की उपधारा (2) के अधीन आडिट रिपोर्ट 31 मई, 2008 तक एवं 31 मार्च, 2008, 31 मार्च 2009 एवं 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये 30 अप्रैल, 2011 तक प्रस्तुत की जाएगी."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 जनवरी 2011

क्रमांक एफ-10/49/2010/वाक/पांच (2).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/49/2010/वाक/पांच (2) दिनांक 21-01-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 21st January 2011

NOTIFICATION

No. F-10/49/2010/CT/V (2).—In exercise of the powers conferred by section 71 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby makes the following amendments in the Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006 from the date of publication in official gazette, namely ,—

AMENDMENT

In the said rules,—

(1) The sentence after clause (b) of sub-rule (2) of rule 20,—
"For the year ending 31st March, 2007 statement in form-18 and audit report under sub-section (2) of section 41 shall be furnished up to 31st May, 2008." shall be omitted:

(2) After the clause (b) of sub-rule (2) of rule 20, the following proviso shall be added,—
"Provided that, statement in form-18 and audit report under sub-section (2) of section 41 shall be furnished up to 31st may, 2008 and for the year ending 31st March, 2008, 31st March, 2009 and 31st March, 2010 shall be furnished upto 30th April, 2011."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.